# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 44/19 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2019/00146

उनवान

1. रामवीर उम्र 45 वर्ष पुत्र हरी सिंह
2. सुरेश बाई उम्र 32 वर्ष पत्नी राजवीर

} जाति मीना नि0 नयागॉव तहसील सरमथुरा जिला सरमथुरा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीबाई पत्नी स्व0 गरीबा जाति मीना निवासी ग्राम भिण्डीपुरा सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
2. श्रीमान् तहसीलदार, तहसील सरमथुरा वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा दि0 23.07.2019 मि.नं. 23/18 उनवानी श्रीबाई बनाम रामवीर।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दिलीप शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–24.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के निर्णय व डिंक्री दिनांक 23.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी स्थित ग्राम भिण्डीपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर है। जिसमें से सिर्फ खसरा नम्बर 713 विवादित है। अन्य खसरा नम्बरान बाबत् कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त आराजी में से 713/1 खसरा नम्बररकवा 0.22 है0 पर विवाद है। जिसकी वादी/रैस्पो0 खातेदार है व इसी नम्बर में से प्रतिवादीगण अपीलाण्ट का भी खसरा

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

नम्बर 713/1 रकवा 0.24 है0 है जिस पर प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने गैंगसा लगा रखा है एवं वह आराजी पर मलवा डालता है। वादी रैस्पो0 व प्रतिवादीगण अपीलाण्ट का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर विभाजन का अनुतोष चाहा। तत्पश्चात् वादी रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत करते हुये दावे में से धारा 53 व 89 आरटीएक्ट के तहत चाहे गये अनुतोष का त्याग कर दिया एवं शेष रही धारा 188 पर अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि खसरा नम्बर 713 रकवा 0.56 है0 में से 0.26 है0 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ वादी रैस्पो0 के पति स्व0 गरीब ने रूपान्तरित कराया था। बाद रूपान्तरण 0.26 है0 में से गरीबा ने 1/3 हिस्सा अपीलाण्ट रामवीर को व 1/3 हिस्सा मूंगाराम को तथा 1/6 हिस्सा महावीर को विक्रय कर दिया तथा शेष 1/6 हिस्सा गरीबा ने अपने पास रख लिया उक्त रूपान्तरण वादी रैस्पो0 के पति गरीबा ने स्वेच्छा से खसरा नम्बर 713 के हिस्सा विशेष का कराया था। उक्त भूमि में से कन्वर्टशुदा भूमि आराजी को मूल खाते से पृथक कर अलग खाता कायम किया जा चुका है। परन्तु वादी रैस्पो0 ने पुराने नम्बर से दावा किया। दावा में वादग्रस्त आराजी पर ना तो अपीलाण्ट सहखातेदार हैं और ना ही संयुक्त आधिपत्य में हैं। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया ना ही कोई साक्ष्य ही ली एवं सीधे वादी रैस्पो0 का दावा डिक्री कर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट ने अपनी आराजी पर गैंगसा लगा रखा है एवं रैस्पो0 की आराजी पर मलवा डाल रखा है एवं कृषि कार्य में रूकावट डालते हैं एवं रैस्पो0 की आराजी से ही वाहन आदि निकालते हुये रास्ता निकालने पर आमदा हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी

रहती है। प्रार्थना पत्र 39 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत करते हुये मौके की जॉच हेतु निवेदन किया जाकर, अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली की आदेशिका दिनांक 09.07.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी में विचाराधीन होकर अग्रिम पेशी दिनांक 23.07.2019 नियत की गयी। पेशी दिनांक 23.07.2019 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 23(1) सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर वाद पत्र में से धारा 53 व 89 को त्यागने का अनुतोष चाहा गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर धारा 53 व 89 को वाद पत्र से हटाते हुये, सीधे धारा 188 पर रैस्पो0 को बिना साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। हम यहॉ यह भी उल्लेख करना उचित समझते हैं कि प्रकरण में दिनांक 05.02.2019 को तनकीयात कायम की गयी हैं। परन्तु अपीलाधीन आदेश तनकीवार नहीं है। नियमानुसार प्रकरण में एक बार तनकी कायम होने पर निर्णय तनकीवार दिया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की कोई पालना नहीं की गयी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2019 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं मौके की रिपोर्ट लेते हुये, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 12.02.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)